# GOVT. HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS) SCIENCE COLLEGE, INDORE

(An ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified Instituion)

# SSR DOCUMENT

## 2017-18 TO 2021-22

## CRITERION – 6

### Governance, Leadership and Management

**Metric No. :6.4.3**

**Document Title:**

**AGMP Report**

SURESH T SILAWAT

Digitally signed by SURESH T SILAWAT
Date: 2023.08.12 00:36:20 +05'30'

तमसो मा ज्योतिर्गमय

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : 6360/स्था./18 दिनांक :- 12-4-18

प्रति,

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ओ.ए.डी.-03,

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा),

मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झॉसी रोड़, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 05/2013 से 01/2017 तक पर कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/ओ.ए.डी.-3/नि.प्रति.क. 323/2016-17/1199/दिनांक 14.03.2017.

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में प्रेषित है कि संदर्भित पत्र में आपके द्वारा लगाई गई कंडिकाओं के पूरक उत्तर मय संलग्नक आपकी ओर निराकरण तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राचार्य

प्राचार्य
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय
इन्दौर

पृ. क्रमांक : 6361/स्था./18 दिनांक :-

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन, 5वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोतीतबेला परिसर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य

O/c

प्राचार्य
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय
इन्दौर

शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

महालेखाकार परीक्षण माह 05 / 13 से 01 / 17 तक की कंडिकओं के पूरक

| क्र. | अंकेक्षण अवधि | कंडिका कमांक | कंडिका का विवरण | प्राचार्य का उत्तर | अति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 05 / 13 से 01 / 17 | 1 | उच्च शिक्षा कोष हेतु निर्धारित अंशदान उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित न करना।<br>म.प्र. राजपत्र असाधारण कमांक 77 दिनांक 22 फरवरी 2013 के द्वारा उच्च शिक्षा कोष स्थापना एवं संचालान नियम 2012 लागु किया गया है। उच्च शिक्षा कोष के गठन का उद्‌देश्य – ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन, गम्भीर बीमारी से पीडित होना या गम्भीर दुर्घटना ग्रस्त हो जाते है, को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। उच्च शिक्षा कोष का गठन राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अंशदान एवं समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा शासकीय विश्वविद्यालयों (समस्त विभागों) में प्रवेशित स्नातक विद्यार्थियों के शुल्क की एक प्रतिशत राशि, निजी विश्वविद्यालयों विनियामक आयोग को प्राप्त 1 प्रतिशत फीस का 25–50 प्रतिशत तक, सांसद और विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त राशि एवं गणमान्य नागरिकों से प्राप्त सहायता से किया जायेगा। जिसका संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।<br>म.प्र. राजपत्र से प्रकाशित उच्च शिक्षा कोष के गठन एवं संचालन के संदर्भ में जारी निर्देशों के परिपेक्ष में कार्यालय प्राचार्य शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा वर्ष 2013–2014 से 2016–17 (जनवरी 2017) तक प्राप्त शुल्क की जानकारी अनुसार महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार उच्च शिक्षा कोष में वर्ष वार राशि / प्रेषित किया जाना था।<br>वर्ष प्राप्त जनभागीदारी शुल्क प्राप्त उच्च तकनीकी पाठ्‌यकम की शुल्क कुल राशि 1 प्रतिशत उच्च शिक्षा कोष हेतु निर्धारित<br>2013–14 4.06 425.00 429.06 4.29<br>2014–15 5.20 447.32 452.52 4.53<br>2015–16 6.80 632.12 639.03 6.39<br>2016–17 7.10 710.00 717.10 7.17<br>कुल योग 22.38<br>वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 जनवरी तक संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों से वर्ष वार प्राप्त फीस का 1 प्रतिशत कुल राशि रू. 22.38 लाख उच्च शिक्षा कोष हेतु उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना था, परन्तु अद्यतन उक्त राशि को उच्च शिक्षा विभाग में प्रेषित नहीं किया गया है। | कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि लेखा परीक्षा द्वारा बनाई गई कंडिका के आधार पर एक आदेश महाविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि राशि उच्च शिक्षा कोष हेतु प्रेषित की जा सके (संलग्न कमांक 01)। शासन से इस आशय का पत्र प्राप्त होते ही राशि प्रेषित कर दी जावेगी।<br><br>प्राचार्य<br>शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय<br>इन्दौर | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | व्यक्तिगत जमा खाते में राशि रू. 1.43 करोड़ का अवरूद्व रखना। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–11–13/14/नि/चार, भोपाल दिनांक 23.07.2014 एवं पत्र कमांक एफ–1–1/2013/नि/चार, भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2015 के निर्देश अनुसार राज्य शासन की संचित निधि से आहरित कर प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत जमा खातों को म.प्र. कोष संहिता भाग–1 के स.नि. 543 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति पर बंद किए जाए, जो कि आवश्यक होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सामान्य रीति से पुनः खोले जा सकते हैं, संचित निधि से भिन्न राशि से खोले गए व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो 3 वर्षसे अप्रचलित म.प्र. कोषालय संहिता के स.नि. 543 के अनुसार बंद किए जायेगे।<br>कार्यालय प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर के प्रस्तुत व्यक्तिगत निक्षेप खाता कं ED 4 की ले.प. समीक्षा में पाया कि उक्त खाता वर्ष 01/2006 से संचालित है खाता पासबुक/लेजर में जमा राशि किस योजना/मद से आहरित कर जमा की गयी है का उल्लेख होना नहीं पाया गया है तथा उक्त खाते को नियमित अन्तराल अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंद भी नहीं किया गया। अद्यतन उक्त खाते में राशि रू. 14308697 जमा रखकर (31.03.16) शासन के निर्देशों की अवेहलना की जा रही है। | म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत प्रत्येक महाविद्यालय को एक व्यक्तिगत खाता खोलने की अनुमति दी गई थी जिसमें महाविद्यालय का ए.एफ. एवं लोकल फण्ड की राशि जमा कराई जानी थी। महाविद्यालय द्वारा भी यह खाता खुलवाया जाकर ए.एफ. एवं लोकल फण्ड की राशि जमा कराई गई है जिसमें राशि रू. 14308397 दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में जमा है। ज्ञात हो कि खाते में राशि पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। महाविद्यालय द्वारा शासन की अनुमति से जनभागीदारी मद का बचत खाता खोला गया और वर्ष 2013–14 से ए.एफ. एवं लोकल फण्ड की राशि इस खाते में रखी जाती है जहॉ ब्याज भी प्राप्त होता है। व्यक्तिगत खाते में जमा राशि का उपयोग वर्तमान सत्र से किया जावेगा। अतः कंडिका मान्य करने का कष्ट करें।<br>प्राचार्य<br>शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय<br>इन्दौर | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | अशासकीय निधि से शासकीय दावों का नियमित भुगतान करना।<br>मध्यप्रदेश कोष संहिता के नियम 53 (7) के प्रावधान अनुसार शासकीय एवं अशासकीय निधियों को पृथक–पृथक संधारण किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से विभिन्न मदों से प्राप्त शुल्क की राशि जनभागीदारी समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रकिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना के विकास के लिए तथा विद्यार्थियों के कियाकलाप विकासमुन्खी गतिविधियों पर व्यय किया जाना चाहिए। शासकीय दावों का भुगतान शासन द्वारा आवंटित बजट प्रावधान के अंतर्गत किया जाना चाहिए तथा अधिक व्यय यदि प्रतीत हो बजट आवंटन की मांग की जानी चाहिए। कार्यालय अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा टेलीफोन देयक, बिजली देयकों भुगतान पर 88,88,360 लाख व्यय किया गया था। पर्याप्त बजट राशि उपलब्ध न होने से कार्यालय द्वारा टेलीफोन, बिजली देयक इत्यादि विभिन्न मदों में राशि का व्यय स्ववित्तीय निधि से किया जाना पाया गया। लेखा परीक्षा अवधि में राशि रू. 88,88,360 का व्यय किया गया जो संलग्न पत्रक में दर्शाया गया है। व्यय किये गये राशि का समायोजन (त्मबवनचउमदज) भी नहीं दिया गया है। बजट आवंटन प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को पत्र लिखकर अतिरिक्त बजट की मांग करनी चाहिए जो नहीं किया गया। राज्य शासन/आयुक्त कार्यालय स्तर से ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये थे कि अन्य मदों से कार्यालय व्यय का भुगतान किया जावें तथा आवंटन से अधिक व्यय होने की स्थिति में आयुक्त कार्यालय से मार्गदर्शन/आदेश प्राप्त करना चाहिए था कि टेलीफोन तथा बिजली देयकों का भुगतान कैसे और किस स्त्रोत से किया जायेगा, परन्तु इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बिना आदेश प्राप्त कर और उनके संज्ञान में स्थिति को न लिया जाकर अन्य निधि से भुगतान करना अनियमित है। लेखा परीक्षा अवधि में विभिन्न मद में राशि रू. 88,88,860 का व्यय किया गया था। | महाविद्यालय में कई पाठ्यकम जैसे–कम्प्यूटर, बायोटेक, माईकोबायोलॉजी, ईलेक्टानिक्स, फार्मारसायन, फारेंसिक आदि स्ववित्तीय आधार पर संचालित हैं और इन पाठ्यकमों में विद्यार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है इसलिए शासन के निर्देशानुसार बिजली एवं जल प्रभार तथा दूरभाष पर व्यय जनभागीदारी/स्ववित्त मद से किया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु शासन का पत्र)। शासन द्वारा जिन मदों में राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका पूर्णतः उपयोग किया जाता है और यदि किसी मद में राशि की आवश्यकता होती है तो विभाग से आवंटन हेतु अनुरोध किया जाता है । अतः कंडिका मान्य करने का कष्ट करें। (संलग्न कमांक 02)<br><br>प्राचार्य<br>शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय<br>इन्दौर | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए कय आदेश विभक्त कर प्रदाय किया जाना।<br>म.प्र. वित्तीय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 119 के अनुसार कय आदेशों को, आदेशों के कुल मूल्य के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी की अपेक्षित आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने हेतु विभक्त नहीं किया जाना चाहिए।<br>कार्यालय प्राचार्य शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कय नस्ती, व्यय वाउचर एवं उच्च तकनीकी की रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया गया कि महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा भौतिकशास्त्र, माइकोबायलॉजी, कीड़ा विभाग, बायोटेक्नोलॉजी, फारेंसिक विभाग इत्यादि हेतु विभिन्न प्रकार के रसायन, उपकरण एवं सामग्री कय की गयी है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये कय आदेश विभक्त कर दिये गये है। जो कि उपरोक्त नियम के विपरीत है। कय की गयी सामग्री की कीमत राशि रू. 311043/— है। राशि का विस्तृत विवरण अनुलग्नक ख में दर्शाया गया है। | महाविद्यालय में विगत 18 वर्षो से सेमेस्टर प्रणाली लागू है और प्रत्येक सेमेस्टर में आवश्यकता अनुसार, महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा सामग्री कय की जाती है। जनभागीदारी मद में समिति की अनुशंसा पर एक बार में रू. 15.00 लाख तक की सामग्री कय करने के अधिकार प्राचार्य को दिए गए हैं (म.प्र.शासन, राजपत्र की प्रति) संलग्न कमांक 03।<br><br>प्राचार्य<br>शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय<br>इन्दौर | |